



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221802
CG-DL-E-17092020-221802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2824]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 2824]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

का.आ. 3172(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH548D के कि.मी. 149.6 से कि.मी.169.467 (सद्म ऑफिस, तहसील ऑफिस कैंपस, तक पाटोदा - डिस्ट. बीड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१५/०५/२०२०" को "दैनिक झुंजार नेता (मराठी)" और "दैनिक माजलगाव टाइम्स (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH548D के कि.मी. 149.6 से कि.मी.169.467 (सद्म ऑफिस, तहसील ऑफिस कैपस, तक पाटोदा - डिस्ट. बीड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: बीड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पाटोदा				
	गांव का नाम: वैद्यकिन्ही				
1	329	निजी	कृषी	0.377	प्रभाकर पांडुरंग बांगर अ.पा.क. सरुबाई पांडुरंग बांगर (३२९)
2	329	निजी	कृषी	0.155	१) प्रभाकर पांडुरंग बांगर २) अ. पा. क. सरुबाई पांडुरंग बांगर (३२९)
3	329	निजी	कृषी	0.153	१) शंकर काशिनाथ बांगर २) लक्ष्मण काशिनाथ बांगर) काशिनाथ गोपाला बांगर (३२९)
4	330	निजी	कृषी	0.664	१) बाळू रघुनाथ जोशी २) बापू रघुनाथ जोशी ३) त्र्यंबक केशव लांडगे (मयत) वरसदार दादासाहेब त्र्यंबक लांडगे वगैरे ४) पवन सुमंत जोशी ५) ओंकार सुमंत जोशी (३३०)
5	330	निजी	कृषी	0.73	१) बाळू रघुनाथ जोशी २) बापू रघुनाथ जोशी ३) त्र्यंबक केशव लांडगे (मयत) वरसदार दादासाहेब त्र्यंबक लांडगे वगैरे ४) पवन सुमंत जोशी ५) ओंकार सुमंत जोशी (३३०)
			कुल	2.079	

[फा. सं. NH-12014/100/2016-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2020

S.O. 3172(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH548D on the stretch of land from Km. 149.6 to Km. 169.467 (SDM Office, tahasil Office Campus, Tq Patoda - Dist. Beed) in the district of BEED in the State of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Zunjar Neta (Marathi)” and “Daily Majalgaom Times (English)” both dated 15/05/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548D in the stretch of land from Km. 149.6 to Km. 169.467 (SDM Office, tahasil Office Campus, Tq Patoda-Dist. Beed) in the district of BEED in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: BEED					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Patoda				
	Village: Vaidyakinhi				
1	329	Private	Agriculture	0.377	1) Prabhakar Pandurang Bangar 2) A Pa Ka Sarubai Pandurang Bangar 329
2	329	Private	Agriculture	0.155	1) Prabhakar Pandurang Bangar 2) A. Pa. k. Sarubai Pandurang Bangar 329
3	329	Private	Agriculture	0.153	1) Shankar Kashinath Bangar 2) Laxman Kashinath Bangar 3) Kashinath Gopala Bangar 329
4	330	Private	Agriculture	0.664	1) Balu Raghunath Joshi 2) Bapu Raghunath Joshi

					3) Trimbak Keshav Landage (Mayat) Varasadar Dadasaheb Tribak Landage Vagaire 4) Pavan Sumant Joshi 5) Omkar Sumant Joshi 330
5	330	Private	Agriculture	0.73	1) Balu Raghunath Joshi 2) Bapu Raghunath Joshi 3) Trimbak Keshav Landage (Mayat) Varasadar Dadasaheb Tribak Landage Vagaire 4) Pavan Sumant Joshi 5) Omkar Sumant Joshi 330
			TOTAL	2.079	

[F. No. NH-12014/100/2016-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.